कार्यालय नगर विकास न्यास, भरतपुर

क्रमांकः–चित्रण शाखा/2016/484 दिनांक 28-12-16

सूर्या बिल्डर्स एण्ड डवलवर्स,
सूर्या सिटी, एन.एच.–11,
फतेहपुर सिकरी रोड, भरतपुर।

विषयः–निजी खातेदारी योजना सूर्यासिटी के भूखण्ड प्लेट ई के भवन मानचित्र स्वीकृत हेतु।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निर्माण स्वीकृति हेतु सूर्या सिटी निजी खातेदारी योजना श्री सुनील निर्मल कुमार जैन (आर्केटेक्ट) द्वारा भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये है एवं भवन मानचित्र समिति (बी.पी.सी) की बैठक दिनांक 14.12.2016 के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार 2.00 एफ.ए.आर तक के भवन मानचित्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति जारी की जा रही हैः–

1. समिति के निर्णय अनुसार 2.00 ए.एफ.आर तक के ही भवन मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे है।
2. उक्त स्वीकृति जारी करने की दिनांक से सात वर्ष तक मान्य होगीं
3. आवेदक द्वारा भवन निर्माण के दौरान निर्माण सम्बन्धी एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा तथा स्वीकृत की प्रति आवश्यक रूप से मौके पर रखनी होगीं।
4. भवन का निर्माण अनुमोदित भवन मानचित्र एवं भरतपुर भवन विनियम 2013 के अनुसार करना होगा जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगीं।
5. आवेदक द्वारा लीजडीड व भवन निर्माण स्वीकृत की समस्त शर्तो का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
6. पार्किंग की व्यवस्था भवन विनियम 10.1 व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करनी होगी। विनियम 10.1 के अनुसार पार्किंग का प्रावधान कराना आवश्यक होगा। सौर उर्जा के प्रावधान व अन्य प्रावधान भवन विनियमों के अनुसार करने होंगे।
7. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूनिक मीटर वायोडिगेडेबल तथा 1.33 क्यूविक मीटर का दूसरा पात्र वायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें मूवल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा, जहॉ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।
8. प्रस्तुत मानचित्र में प्रस्तावित वेसमेन्ट पार्किंग हेतु दर्शाये गये रेम्प के आवश्यक दाल 1:8 के अनुसार में रेम्प की लम्बाई रखनी होगी तथा वेसमेन्ट में एन्ट्री पर की सुनिश्चिना की जानी होगी।
9. प्रत्येक मंजिल का निर्माण कार्य पूरा होने पर न्यास से जांच करवानी होगी। निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार होने पर ही ऊपर की मंजिलों का निर्माण अनुज्ञेय होगा।
10. फायर सैस व लेवर सैस की राशि व प्रावधान लागू होंगे। निर्धारित समयावधि पूर्ण होते ही स्थाई प्रमाण पत्र लेना होगा व फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गये प्रावधनों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
11. पर्यावरण की दृष्टि से भूखण्ड पर 14 वृक्ष लगाने होगें जो 6 मीटर या इससे अधिक उॅचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे, अतः निम्नानुसार राशि वसूल की जावेगी।
12. अधिकतम एवं अतिरिक्त एफ.ए.आर की राशि तालिका 9 के अनुसार देय होगी।
13. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर) जयपुर के पत्रांक टी.पी.आर/ग्रुप हाउसिंग/9012/2015 /943 दिनांक 28.09.2016 के पत्र में अंकित शर्तो की पालना करनी होगी।
14. पुलिस अधिक्षक भरतपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्देशों की पालना सुनिश्चिन करनी होगी।

15. निर्माण पूर्ण होने पर कम्पलीशन सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
16. भवन निर्माण में निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्णरूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
17. राज्य सरकार/न्यास द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों /आदेश लागू होंगे।
18. न्यास द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का आधार नही है। विवादित स्वामित्व पर स्वीकृति के लिये न्यास भरतपुर जिम्मेदार नही होगा।
19. गलत तथ्यों अथवा तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वः निरस्त मानी जावेगी।

सलंग्नः– मानचित्र 1 शीट

Sd/-
(लक्ष्मीकान्त बालोत)
सचिव
नगर विकास न्यास, भरतपुर

दिनांक

क्रमांकः–चित्रण शाखा/2016/

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित हेतु :–

1. आयुक्त नगर निगम, भरतपुर।
2. जिला पुलिस अधिक्षक, भरतपुर।
3. श्रम आयुक्त, भरतपुर।
4. सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भरतपुर।

(लक्ष्मीकान्त बालोत)
सचिव
नगर विकास न्यास, भरतपुर